# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

**बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 19, 1935)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.**

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 78 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 69 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

### 2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल शहर के कटारा क्षेत्र में कचरा डम्प किये जाने,
(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. द्वारा ग्राम सुरक्षा सैनिकों की तैनाती का भुगतान न करने,
(3) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने रतलाम जिले के पिपलौदा में शा.उचित मूल्य की दुकान से राशन न मिलने,
(4) श्री परसराम मुदगल, सदस्य ने मुरैना शहर में विद्युत प्रदाय की व्यवस्था ठीक न होने,
(5) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के संकुल प्राचार्य द्वारा शिक्षा अधिकारी के आदेशों का पालन न करने तथा
(6) श्री संजय पाठक, सदस्य ने कटनी जिले के विजयराघवगढ़ में महाविद्यालय का भवन न होने
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

### 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने उनके विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं : -
(क) क्रमांक एफ-ए-3-13-2013-1-पांच (12), दिनांक 28 मार्च, 2013
(ख) क्रमांक एफ-ए-3-12-2013-1-पांच(26), दिनांक 1 अप्रैल, 2013
(ग) (i) क्रमांक एफ-ए-3-16-2013-1-पांच (23), दिनांक 1 अप्रैल, 2013
(ii) क्रमांक एफ-ए-3-14-2013-1-पांच (25), दिनांक 1 अप्रैल, 2013
(iii) क्रमांक एफ-ए-03-14-2013-1-पांच (28), दिनांक 6 अप्रैल, 2013 तथा
(iv) क्रमांक एफ-ए-03-19-2013-1-पांच (32), दिनांक 7 जून, 2013
पटल पर रखीं।

(2) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मध्यप्रदेश का प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।

### 4. ध्यान आकर्षण

(1) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य ने बालाघाट जिले के वनग्राम टोपला के आदिवासी परिवार पर वन कर्मियों द्वारा फर्जी प्रकरण बनाये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री परसराम मुदगल, सदस्य ने मुरैना जिले के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

### 5. श्री राघवजी, सदस्य को बन्दी रखने सम्बन्धी सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके पास अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, भोपाल की ओर से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 144 विदिशा के सदस्य, श्री राघवजी को केन्द्रीय जेल, भोपाल में रखे जाने की निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :-

''निवेदन है कि विचाराधीन बंदी श्री राघवजी पुत्र लखमशी, आयु 79 वर्ष, निवासी कल्पतरू अस्पताल रोड, विदिशा हाल बी-19, चार इमली, हबीबगंज, भोपाल माननीय न्यायालय श्री संजय कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल के द्वारा जारी वारन्ट दिनांक 9.7.2013 के अनुसार अपराध क्र.348/13, धारा 377, 506, 34 भा.द.वि. के अंतर्गत दिनांक 9.7.2013 को इस जेल में प्रवेश हुआ है।''

### 6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अलकेश आर्य, सभापति ने याचिका समिति का छत्तीसवां, सैतीसवां, अड़तीसवां, उन्तालीसवां, चालीसवां, इकतालीसवां, बयालीसवां एवं तिरतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का नवम् प्रतिवेदन तथा सप्तम् एवं अष्टम् कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(3) श्री विजयपाल सिंह राजपूत, सदस्य ने नियम समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

### 7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईः-

(1) श्री अलकेश आर्य (जिला-बैतूल)
(2) श्री भगत सिंह नेताम (जिला-बालाघाट)
(3) श्रीमती नीता पटेरिया (जिला-सिवनी)
(4) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(6) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(7) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)

### 8. राजस्व मंत्री का प्रश्न के उत्तर में संशोधन सम्बन्धी वक्तव्य

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने दिनांक 8 मार्च, 2013 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 2389) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

### 9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(2) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क विधिमान्यकरण विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

### 10. वर्ष 2013-14 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि सदन की परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाएं। तदनुसार, श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :-

"दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75 एवं 77 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन हजार चालीस करोड़, छियासी लाख, सैतालीस हजार , पांच सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) श्री ओमप्रकाश सकलेचा
(3) श्री रामलखन सिंह

**(अपराह्न 12.59 से 2.37 बजे तक अन्तराल)**

(4) श्री यादवेन्द्र सिंह
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री के.पी. सिंह

## 11. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री विक्रम वर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं राज्यसभा सदस्य का अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर, सदन की ओर से स्वागत सम्बन्धी उल्लेख किया गया।

## 12. वर्ष 2013-14 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(7) श्री राजवर्धन सिंह
(8) डॉ. निशिथ पटेल
(9) श्री प्रदीप जायसवाल
(10) श्री प्रियव्रत सिंह
(11) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(12) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(13) श्री श्रीकांत दुबे
(14) श्री सुनील जायसवाल
(15) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(16) श्री हेमराज कलपोनी

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2013) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 12 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री यादवेन्द्र सिंह
(3) श्री आरिफ अकील

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 12 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

## 14. अध्यक्षीय घोषणा
### सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी विषयों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है।

(श्री रामनिवास रावत, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा सदन के समय में वृद्धि के विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया गया।)

## 15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(4) श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(6) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(7) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कि दंड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

## 16. अध्यक्षीय व्यवस्था

### नियम शिथिल कर पुर:स्थापन के दिन ही विधेयकों के विचारण विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि उन्होंने आज की कार्यसूची के पद-9 ''शासकीय विधि विषयक कार्य'' के उप पद (9) से (13) में उल्लेखित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियम 65 के परन्तुक (1) एवं स्थाई आदेश की कंडिका 24 में विनिर्दिष्ट, अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं विचार में लिये जाने की अनुमति प्रदान की है।

## 17. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(9) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(10) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(11) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(12) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(13) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क विधिमान्यकरण विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क विधिमान्यकरण विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 20, 1935) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

**राजकुमार पांडे**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**भोपाल :**
**दिनांक : 8 जुलाई, 2013**